



## सार्वजनिक नीलामी द्वारा सम्पत्तियों की बिक्री हेतु सूचना

(वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुर्नगठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियमानुसार) (नियम 8 (6) के तहत)

यद्यपि प्राधिकृत अधिकारी प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) एवं सहपठित नियमों के अंतर्गत ऋणकर्ता एवं सनुबन्धियों को उनके सम्मुख अंकित तिथियों को नोटिस जारी कर उनसे 60 दिनों के अंदर मांग सूचना पत्र में वर्णित धनराशि अदा करने की मांग की थी। ऋणी/सहअनुबन्धियों/बंधककर्ताओं द्वारा उपरोक्त समय अवधि में उक्त धनराशि जमा नहीं करने के कारण प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) एवं सहपठित नियम (8) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न वर्णित खातों में उनके सम्मुख अंकित तिथियों में बंधक सम्पत्तियों का सांकेतिक कब्जा प्राप्त कर लिया गया। इस पर भी ऋणी/ सहअनुबन्धियों/ बंधककर्ताओं द्वारा उक्त धनराशि जमा नहीं करने के कारण बैंक में बंधक अचल सम्पत्ति को नीचे दिये गये विवरण के अनुसार नीलामी द्वारा विक्रय किया जाएगा। अतः इच्छुक व्यक्ति नीलामी में सम्मिलित होने हेतु आमन्त्रित हैं।

क्र. सं.	ऋणी/ सहअनुबंधियों का विवरण	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि एवं देय राशि/ कब्जे की तिथि व स्थिति	न्यूनतम आरक्षित मूल्य/ धरोहर राशि एवं जमा करने की अंतिम तिथि	नीलामी की तिथि व समय नीलामी का स्थान
1.	<b>ऋण खाता संख्या: 8652JH49184522, ऋणी:</b> श्री शादाब उर्फ मोहम्मद शादाब पुत्र श्री शाहदत उर्फ मोहम्मद शाहदत, निवासी मोहल्ला कुरैशी, अमरौहा। <b>सहअनुबंधी:</b> 1. श्री शाहदत उर्फ शाहदत अली पुत्र श्री अब्दुल माजिद, निवासी मोहल्ला कुरैशी, अमरौहा, 2. श्री मोहम्मद तारिक पुत्र श्री शकील अहमद, निवासी मोहल्ला कुरैशी, अमरौहा।	एक रिहायशी मकान जिसका क्षेत्रफल 49.20 व.मी. स्थित है मोहल्ला शास्त्री नगर, अमरौहा जो कि विक्रेय विलेख सं. 799/ 2015 के माध्यम से उपनिबन्धक कार्यालय अमरौहा में श्री शाहदत उर्फ शाहदत अली पुत्र श्री अब्दुल माजिद के नाम पंजीकृत है। <b>सम्पत्ति की चतुरसीमाएँ:</b> पूर्व: सम्पत्ति नासिर, पश्चिम: सम्पत्ति करीमा, उत्तर: सम्पत्ति हसीन, दक्षिण: रास्ता 3 मीटर चौड़ा।	19.06.2024 रु. 7,27,891/- दिनांक 29-05-2024 तक + ब्याज + अन्य खर्च 29-08-2024 /सांकेतिक	रु. 16,11,000/- रु. 1,61,100/- दिनांक 01.03.2025 नीलामी से पूर्व	दिनांक 01.03.2025, दिन शनिवार दोप. 1.00 बजे से 4.00 बजे तक, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय परिसर, निकट माधो सिनेमा स्टेशन रोड अमरौहा।
2.	<b>ऋण खाता संख्या: 8652JH49185480, ऋणी:</b> श्री मोहम्मद आरिफ पुत्र श्री मोहम्मद इरफान, निवासी मोहल्ला इस्लाम नगर, लकड़ा, अमरौहा। <b>सहअनुबंधी:</b> 1. श्रीमती रेशमा पत्नी श्री आरिफ, निवासी मोहल्ला नई बस्ती, बटवाल, अमरौहा। 2. श्री आलेमिन पुत्र श्री अमीर अहमद, निवासी मोहल्ला मुल्लाना, अमरौहा	एक खाली भूखण्ड वर्तमान में रिहायशी मकान जिसका क्षेत्रफल 74.20 व.मी. स्थित है मोहल्ला ईदगाह नगर, अमरौहा जो कि विक्रेय विलेख सं. 16615/ 2022 के माध्यम से उपनिबन्धक कार्यालय अमरौहा में श्रीमती रेशमा पत्नी श्री आरिफ उर्फ मोहम्मद आरिफ के नाम पंजीकृत है। <b>सम्पत्ति की चतुरसीमाएँ:</b> पूर्व: भूखण्ड सायमा, पश्चिम: भूखण्ड भूरे, उत्तर: रास्ता 4.88 मीटर चौड़ा, दक्षिण: आराजी अफसर इत्यादि।	18.07.2024 रु. 3,31,941.20 दिनांक 01-07-2024 तक + ब्याज + अन्य खर्च 24-09-2024 /सांकेतिक	रु. 11,15,000/- रु. 1,11,500/- दिनांक 01.03.2025 नीलामी से पूर्व	दिनांक 01.03.2025, दिन शनिवार दोप. 1.00 बजे से 4.00 बजे तक, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय परिसर, निकट माधो सिनेमा स्टेशन रोड अमरौहा।
3.	<b>ऋण खाता संख्या: 8652IA45047672, ऋणी:</b> मैसर्स आसिम ट्रेडर्स, प्रोप0 श्री मोहम्मद आसिम पुत्र श्री नसीम अहमद, निवासी मोहल्ला नौगजा, निकट फौजी बीड़ी वालों का मकान एवं मजार नौगजा, नई बस्ती, अमरौहा। <b>सहअनुबंधी:</b> 1. श्रीमती शबाना पत्नी श्री मोहम्मद आसिम, निवासी मोहल्ला धेरपच्छाय, निकट फौजी बीड़ी वालों का मकान एवं मजार नौगजा, नई बस्ती, अमरौहा। 2. श्री मोहम्मद आजम अली पुत्र श्री मोहम्मद अली, निवासी म.सं. 73, बाजार रज्जाक, अमरौहा।	एक रिहायशी मकान जिसका क्षेत्रफल 42 व.मी. स्थित है मोहल्ला नौगजा, अमरौहा जो कि विक्रेय विलेख सं. 5169/ 2013 के माध्यम से उपनिबन्धक कार्यालय अमरौहा में श्री मोहम्मद आसिफ उर्फ मोहम्मद आसिम पुत्र श्री नसीम अहमद के नाम पंजीकृत है। <b>सम्पत्ति की चतुरसीमाएँ:</b> पूर्व: गली लगभग 8 फिट चौड़ी, पश्चिम: मकान मुजफ्फर अली इत्यादि, उत्तर: रास्ता मुजफ्फर अली एवं अन्य, दक्षिण: मकान मुन्नी इत्यादि।	15.03.2024 रु. 5,88,062/- दिनांक 15-03-2024 तक + ब्याज + अन्य खर्च 04-07-2024 /सांकेतिक	रु. 10,50,000/- रु. 1,05,000/- दिनांक 01.03.2025 नीलामी से पूर्व	दिनांक 01.03.2025, दिन शनिवार दोप. 1.00 बजे से 4.00 बजे तक, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय परिसर, निकट माधो सिनेमा स्टेशन रोड अमरौहा।
4.	<b>ऋण खाता संख्या: 86528747242218 &amp; 8652AM00000019, ऋणी:</b> श्री आरिफ अहमद पुत्र श्री शफीक अहमद, निवासी मोहल्ला अफगनान, अमरौहा। <b>सहअनुबंधी:</b> 1. श्री अरशद अली पुत्र श्री इसरार अहमद, निवासी मोहल्ला अफगनान, अमरौहा, 2. श्री खिसल अहमद पुत्र श्री शब्बीर अहमद, निवासी मोहल्ला शिवद्वारा, अमरौहा।	एक रिहायशी मकान जिसका क्षेत्रफल 61.12 व.मी. स्थित है मोहल्ला अफगनान, अमरौहा, जो कि विक्रेय विलेख सं. 15091/ 2019 के माध्यम से उपनिबन्धक कार्यालय अमरौहा में श्री अरशद अली पुत्र श्री इसरार अहमद के नाम पंजीकृत है। <b>सम्पत्ति की चतुरसीमाएँ:</b> पूर्व: आराजी मुजाहिद, पश्चिम: आराजी तोला, उत्तर: रास्ता 2 मीटर चौड़ा, दक्षिण: आराजी शफीक।	19.06.2024 रु. 7,90,085.48 दिनांक 13-06-2024 तक + ब्याज + अन्य खर्च 29-08-2024 /सांकेतिक	रु. 6,77,000/- रु. 67,700/- दिनांक 01.03.2025 नीलामी से पूर्व	दिनांक 01.03.2025, दिन शनिवार दोप. 1.00 बजे से 4.00 बजे तक, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय परिसर, निकट माधो सिनेमा स्टेशन रोड अमरौहा।

**सम्पत्ति का पूरा विवरण/अन्य जानकारी संबंधित शाखा के पास से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है। नीलामी की नियम एवं शर्तें:** - 1. नीलामी के समय, बोलीदाता को ईएमडी के लिए ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर/आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत जमा करना होगा, जो प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक के पक्ष में देय हो, बोली से पूर्व जमा करना होगा। 2. बोलीदाता को अपना परिचय पत्र/आधार कार्ड/पैन कार्ड साथ लाना होगा। 3. जैसे ही सफल बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाती है उसे उसी दिन नीलामी बोली को 25% (धरोहर राशि समायोजित करते हुए) जमा करना होगा तथा शेष रकम 15 दिनों में अंदर जमा करना होगा अन्यथा पूर्व में जमा की गयी रकम को जब्त कर लिया जाएगा। 4. उपरोक्त सम्पत्तियों को "जैसा है जहाँ है, जो भी है" के आधार पर विक्रय किया जाएगा। प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताये किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 5. असफल बोलीदाताओं का ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर/आरटीजीएस/एनईएफटी सम्पत्ति की नीलामी के बाद उसी दिन बिना किसी ब्याज के वापस कर दिया जाएगा। 6. हस्तांतरण से संबंधित व्यय जैसे स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्कों आदि और अन्य सभी विधायी व्यय सफल बोलीदाताओं द्वारा वहन किए जाएंगे। 7. सम्पत्ति पर सभी सरकारी कर और बकायों की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। 8. अन्य जानकारी के लिए, किसी भी कार्य दिवस पर प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक की सम्बन्धित शाखा से सम्पर्क करें। 9. नीलामी आरक्षित मूल्य से शुरू होगी और बोलीदाताओं को पांच हजार (5,000) के गुणाकों में अपनी बोली में सुधार करना होगा। नीलामी समाप्त हो जाने पर सर्वोच्च बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा। 10. यदि ऋणी नीलामी से पूर्व बैंक को सम्पूर्ण धनराशि एवं देय ब्याज अन्य व्यय सहित भुगतान कर देता है तो उपरोक्त खाते में बंधक सम्पत्ति की नीलामी को रद्द कर दिया जाएगा। 11. यह सूचना ऋणी, सहअनुबंधी एवं बंधककर्ताओं को 30 दिनों की सूचना के रूप में पदा जाए।